क्लोनिंग

24-27 अक्टूबर 1972 ई0 को मुम्बई में आयोजित दसवें फ़िक्ही सेमिनार में क्लोनिंग के मसअले पर बहस हुई और निम्न राय बनाई गयी।

1- क्लोनिंग के सिलसिले में जो शक्लें सामने आई हैं और उनसे जिन अख़लाक़ी और समाजी नुक़सान का ख़तरा है, उसके आधार पर किसी भी तरीक़े से इंसानों की क्लोनिंग शरीअत की नज़र में हराम है।

2- पैड़ पौधों और जीव जन्तुओं में ऐसी क्लोनिंग जिससे इंसानी समाज का भला हो और वह इंसानी समाज (या समस्त पर्यावरण) के लिए धार्मिक, नैतिक और भौतिक रूप से हानिकारक न हो, जायज़ है।

3- इस्लामी फ़िक्ह अकेडमी का यह सेमिनार भारत सरकार से मांग करता है कि ऐसे क़ानून बनाए जाएं जो भारतीय या विदेशी संस्थाओं या कम्पनियों के लिए भारत में इंसानी क्लोनिंग के प्रयोग को वर्जित करें।

☆☆☆